प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 05 सितम्बर, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत पुत्र श्री बुद्धा निवासी जनपद-जे0पी0 नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19077/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-14.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत पुत्र श्री बुद्धा, सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर, जनपद-जे0पी0 नगर का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.03.2000 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध हथियारों से गोली चलाकर अपने गांव के मजबूर, सरदार खां, अवरार खां एवं वाजिद खां सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2022 तक 19 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, अमरोहा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध, व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के रिहा होने पर गांव में तनाव पैदा होने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 16.03.2000 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध हथियारों से गोली चलाकर अपने गांव के 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सराफत पुत्र श्री बुद्धा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-4322/2022 सराफत बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 से आच्छादित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-4322/2022 सराफत बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत (बन्दी सं0-48593) पुत्र श्री बुद्धा निवासी जनपद-जे0पी0 नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-138/2022/1675(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-138/2022/1675/22-2-2022-17(734)/2019

दिनांक 05 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत पुत्र श्री बुद्धा, सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर, जनपद-जे0पी0 नगर का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.03.2000 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध हथियारों से गोली चलाकर अपने गांव के मजबूर, सरदार खां, अवरार खां एवं वाजिद खां सहित 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, जे0पी0नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2022 तक 19 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, अमरोहा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के रिहा होने पर गांव में तनाव पैदा होने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 16.03.2000 को 12 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध हथियारों से गोली चलाकर अपने गांव के 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सराफत पुत्र श्री बुद्धा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-4322/2022 सराफत बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 से आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in